न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 19/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. रतनलाल पिता गुलाबचन्द ब्राहम्ण निवासी लाखोला, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. बालूराम पिता गुलाबचन्द हाल गोद पुत्र कजोडीमल ब्राहम्ण पारीक निवासी लाखोला हाल नया खेड़ा, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमति गीता पुत्री गुलाबचन्द ब्राहम्ण पारीक निवासी लाखोला हाज पत्नि जगदीशचन्द्र जारीक निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. नंगजी पिता भुरा जाट
2. हीरा लाल पिता उदयराम जाट
3. पारस पुत्री उदयराम जाट
4. रूकमण पुत्री उदयराम जाट
5. डालु पिता भुरा जाट
6. देवीलाल पिता भुरा जाट

सर्व निवासी नया खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956** ::

निर्णय दिनांकः— 25/06/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम नयाखेड़ा (लाखोला) पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2197 रकबा 0.31 हे0 2199 रकबा 0.31 हे0 भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 0.62 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 70 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम नयाखेड़ा (लाखोला) पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्य 2197 रकबा 0.31 हे0 2199 रकबा 0.31 हे0 भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 0.62 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगंढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी**

क्रमश....

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :— 19/
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0

के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 300/— (तीन सौ रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 300/— (तीन सौ रूपये मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/06/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर भीलवाड़ा

(सी0एल0शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)